संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

-: आदेश :-

क्रमांक/1-जी/विज्ञप्त/सेल-6/व.प्र.से.वेतन/2021/339 भोपाल, दिनांक 26.02.2021

मध्य प्रदेश, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के संशोधित आदेश क्रमांक एफ 14-01/2015/सत्रह/मेडि-1 दिनांक 16.03.2016 द्वारा विभाग के अधीन कार्यरत ऐसे समस्त अधिकारी जिनकी मूल नियुक्ति चिकित्सा अधिकारी के पद पर हुई थी, उन्हें 30 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण होने के उपरांत अन्य शासकीय अधिकारियों की भांति वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान रूपये 37400-67000+ग्रेड-पे 8700/-दिया जावे एवं यह व्यवस्था दिनांक 01.07.2014 से प्रभावशील करने के निर्देश दिये जाकर चिकित्सा अधिकारी संवर्ग की पद संख्या के 02 प्रतिशत की सीमा को शिथिल किया गया है।

शासन के उक्त आदेश के परिपालन में वर्ष 1987 में शासन द्वारा नियमित किये गये 01 दन्त शल्य चिकित्सक जिनकी मूल नियुक्ति दन्त शल्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर हुई थी उन्हें 30 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण होने के उपरांत दिनांक 11.06.2018 से चार स्तरीय वेतनमान के अंतर्गत वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान रूपये 37400-67000+ग्रेड-पे 8700) उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक-05 में अंकित दिनांक से एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है :-

क्र.	दन्त शल्य चिकित्सा अधिकारियों/विशेषज्ञों का नाम	पदक्रम सूची (01.04.2008) में क्रमांक	लो.से.आ. का चयन वर्ष एवं क्रमांक/नियमितीकरण वर्ष	वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान वेतनमान रूपये 37400-67000+8700 दिये जाने का दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	DR. R.K. PATERIA	43	1987	11-Jun-2018

02/ दन्त शल्य चिकित्सकों/विशेषज्ञों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किया गया है, का वेतन निर्धारित मूलभूत नियम के प्रावधानों के तहत किया जावेगा।

03/ दन्त शल्य चिकित्सकों/विशेषज्ञों को इस आदेश के तहत वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान रूपये 37400-67000+ग्रेड-पे 8700/-स्वीकृत किया जा रहा है उनका वेतन निर्धारण करने के पूर्व निम्नलिखित निर्देशों के तहत संबंधित दन्त शल्य चिकित्सकों/विशेषज्ञों की सेवा पुस्तिका/सेवा अभिलेखों से पुष्टि/कार्यवाही कर ली जाए :-

(1) दन्त शल्य चिकित्सकों/विशेषज्ञों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान जिस दिनांक से स्वीकृत किया गया है। उस दिनांक से यदि सेवा में कोई अवधि डाईजनॉन की गई हो तो उनकी वरिष्ठ प्रवर श्रेणी की पात्रता को स्थगित रखते हुये संचालनालय से यथास्थिति मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

(2) यदि वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ प्राप्त करने वाले दन्त शल्य चिकित्सकों/विशेषज्ञों को उसे वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ दिये जाने के दिनांक के पूर्व की सेवा किसी कालावधि की अनाधिकृत अनुपस्थिति का निराकरण संचालनालय/राज्य शासन द्वारा किया जाना बाकी हो तो वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ अनाधिकृत अनुपस्थिति कालावधि के निराकरण के बाद ही दिया जाये।

26/2/21

(3) यदि वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ प्राप्त करने वाले दन्त शल्य चिकित्सकों/विशेषज्ञों के विरूद्व विभागीय जांच/आपराधिक प्रकरण अथवा अन्य कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलन में हो तो वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में वेतन निर्धारण को स्थगित रखते हुये तत्काल मुख्यालय को तथ्यात्मक जानकरी के साथ अवगत कराया जावे, जिससे नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकें।

(4) दन्त शल्य चिकित्सकों/विशेषज्ञों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ प्रदान किये जाने के पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित अधिकारी की सेवायें, उसकी संवर्ग में नियुक्ति की तिथि से, मूलभूत नियम के सहायक नियम 37 अनुसार, कार्यालयीन अभिलखों से सत्यापित हो। सेवाओं के सत्यापन की अवधि में सेवा अवरोध की स्थिति में वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ स्वीकृत नही किया जाये तथा ऐसे प्रकरण पूर्ण विवरण के साथ आवश्यक निर्णय के लिये इस कार्यालय को उपलब्ध करवायें।

आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित।

(सपना एम लोवंशी)
अपर संचालक (विज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्य प्रदेश

पृ.क्रं./1–जी/विज्ञप्त/सेल–6/व.प्र.से.वेतन/2021/३५० भोपाल, दिनांक२६.02.2021

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :–

1. विशेष सहायक माननीय मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण विभाग म.प्र. भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, गैस राहत विभाग विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)।
5. संचालक (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवायें, मध्य प्रदेश भोपाल।
6. महालेखाकार, मध्य प्रदेश, ग्वालियर।
7. अपर संचालक (वित्त), स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय।
8. उप संचालक (विज्ञप्त)/कार्या.स्थापना/गोपनीय/लीगल, स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय।
9. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल ।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भोपाल, मध्य प्रदेश।
11. अधीक्षक, सिविल अस्पताल, बैरागढ़ भोपाल, मध्य प्रदेश ।
12. जिला कोषालय अधिकारी, भोपाल, मध्य प्रदेश।
13. प्रभारी, एम.आई.एस. सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के संबंध में।
14. संबंधित दन्त शल्य चिकित्सक की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
15. आदेश नस्ती।

26/2/21
अपर संचालक (विज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्य प्रदेश